## छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

n// 0 5 APR 2017 नया रायपुर, दिनांक 03 अप्रैल, 2017

कमांक एफ 4–8/सात–1/2017 छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनयम 2005 (क. 7 सन् 2005) की धारा 9 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 10—क में, उप—नियम (3) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(एक) निधि का उपयोग ,निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में राज्य शासन

द्वारा किया जायेगा, अर्थात् :--

(क) राज्य में अधोसंरचना कार्य यथा बिजली, सड़क, पुल,पीने के पानी की आपूर्ति, सिंचाई ,भण्डारगृह ,सामुदायिक भवन इत्यादि के निर्माण एवं रख-रखाव के प्रयोजन हेतु ;

(ख) मैदानी अधिकारियों के लिए आवास एवं कार्यालय भवन हेतु ;

(ग) शैक्षणिक, कौशल विकास एवं रोजगार हेतु , जिसमें खेलकूद की गतिविधियों से संबंधित विकास कार्य सम्मिलित है ; और

(घ) पर्यावरण के विकास संबंधी कार्य हेतु, कुल कोष का न्यूनतम 50 % होगा :

परन्तु, निधि का न्यूनतम 50 %, प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये अनिवार्य रूप से व्यय किया जायेगा ।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(पी.निहालोंनी) संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन रिराजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

# Government of Chhattisgarh

Revenue and Disaster Management Department mantralaya

Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

### **NOTIFICATION**

0 5 APR 2017

Naya Raipur, date 03 /04/2017

N0 F-4-8/Seven-1/2017 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh (Adhosanrachna Viskas avam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005),the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattistarh (Adhosanrachna Viskas avam Paryavaran) Upkar Niyam, 2005, namely:-

### **AMENDMENT**

In the said Rule,-

In rule 10-A, in sub-rule (3), for clause (i) ,the following shall be substituted, namely:-

"(i) Fund shall be utilized by the State Government in connection with following activities, namely:-

- (A) For the purpose of construction and maintenance of infrastructure work in the State as electricity, road, bridge, supply of drinking water, irrigation, warehouse, community building etc;
- (B) For accommodation and office building for field officers.
- (C) For educational, skill development and employment including developmental work related to sports activities; and
- (D) For work related to environmental development shall be minimum 50% of the total fund :

Provided that minimum 50% of the fund shall be spent compulsorily for the development of affected areas."

By order and in the name of the

Governor of Chhattisgarh

(P.Nihalani)
Joint Secretary

Government of Chhattisgarh

Revenue and Disaster management Department

374